प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन वर्ष 2017–18 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के वित्त पर राज्य के वित्तीय निष्पादन के आकलन तथा राज्य विधानसभा को वित्तीय आंकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण पर आधारित आदानों को प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया है। यह प्रतिवेदन मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016, चौदहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन तथा 2017–18 के बजट अनुमानों द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों के सापेक्ष वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण करने का प्रयत्न करता है। यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय–1 वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है और यह 31 मार्च 2018 को मध्य प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति का आकलन प्रस्तुत करता है। यह ब्याज अदायगियाँ, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, राजसहायताओं तथा ऋण के पुनर्भुगतान एवं उधार पद्धतियों पर व्यय की प्रवृत्ति पर अंतर्दृष्टि डालता है।

अध्याय–2 विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा विनियोगों एवं सेवा प्रदाता विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंधन की रीति का अनुदानवार विवरण प्रस्तुत करता है।

अध्याय–3 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रतिवेदित आवश्यकताओं तथा वित्तीय नियमों के अनुपालन की एक सूची है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा का संचालन किया गया है।